



# Mata Balasundry

## PRIVATE ITI NAHAN

# Prospectus


**Trade : ELECTRICIAN**

Affiliated to NCVT, DGE&T, Ministry of Labour & Employment (Govt. of India),  
& Approved by Deptt. of Technical Education (Govt. of H.P.)

Ground Floor, M.C. Complex, Near Delhi Gate  
Nahan Distt. Sirmour (H.P.)   Mobile No.: 094180-96280



# INTRODUCTION



Mata Balasundry Pvt. ITI Nahan is managed by Mata Balasundry Institute of Education Society Nahans. (Regd. Under S.R. Act XXI of 1860). Which Manages through a local and nearby Managing Committee Composed of eminent educationists Public spirited social workers and experienced educational administrators.

This Regd. Society established this ITI with the special objective of educating students without any distinction of caste, creed, religion or colour.



The ultimate aim of education is not only to enhance knowledge but behaviour, manners and the development of overall personality. Today's student are tomorrow's future of the nation by becoming professional. The vision is to prepare technically and morally strong citizens who in future become precious assets of nation. Secondly, Mata Balasundry Institute is also alive to the situation of unemployment among the educated youth. It feels its duty to make them educated, technically strong and capable of achieving an honorable job in Govt./Pvt. Sector/ Prestigious organization etc. Thus to save themselves from the economic crisis of the present age, which is the root cause of social backwardness as well as social evils. Mata Balasundry Institute is fulfilling those aims and objectives in establishing this ITI to produce highly employable youth. The objective of Mata Balasundry Institute is to impart affordable relevant, skill based & remunerative technical education to the masses of H.P. Mata Balasundry Pvt. ITI is affiliated to NCVT, DGE&T, Govt. of India vide letter no DGET-6/8/4/2011-TC (New Pvt.) & approved by Deptt. of Technical Education, Sunder Nagar (Govt. of Himachal Pradesh).

- 
- The rules of Govt./ NCVT are silent in the prospectus information brochure.
  - This prospectus / Information Brochure is of information nature and not as a legal document.
  - ITI will not be responsible for any type of mistake.



# MESSAGE



**Dear Students**

I Extend a heartily welcome to your decision to seek admission in Mata Balasundry Pvt. ITI, Nahan. I hope that yours stay during your classes/ Training will be academically rewarding and professionally meaningful as you will be provided excellent teaching and guidance by a team of dedicated and experienced faculty members. The philosophy of this Institute is to spread Education to more and more people without any caste and creed.

Now let me congratulates you on your choice of career to meet the great demand for talented Manpower/ Technocrat/ Professionals in their respected fields. I am confident that by joining this Institute you will be provided adequate and useful study materials and utilize your precious time in building your career to the satisfaction of your guardians and you will bring Name, Fame, Glory to the Institute. Whenever you require any help either personal or professional. Please do not hesitate to approach me.

We have proud on our Ex-students who has been selected in Govt. Job as a drawing teacher, P.T.I., Electrician, Pump Operator. I am confident and hopefully that more and more student will join our job oriented/ Professional courses and will avail the opportunity by selection in Govt. Jobs.

Wishing you a great success and bright future.

Arun Bhatia  
Chairman

# ADMISSION SCHEDULE

All the Candidates will have to appear before the admission selection committee along with all original Certificates / Documents for admission. The Candidates will have to appear in person in the office of the Principal,Mata Balasundry Pvt. ITI Nahan

## Counseling schedule for admission:

- |                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1) <b>16/07/2013 TO 18/07/2013</b> | All Reserved Categories and its sub reserved categories    |
| 2) <b>18/07/2013 TO 21/07/2013</b> | All un-reserved Categories and its sub Categories          |
| 3) <b>22/07/2013 TO</b>            | All Reserved & un-Reserved categories & its sub-categories |

Second Counseling to Admission:-**17/08/2013 TO 29/08/2013** All Categories

Final Counseling for Admission:- **31/08/2013** All Categories

### Note :

1. Candidate are likely to overstay in case the admission is not finalized on the same day.
2. Candidates not appearing for admission on the date mentioned above shall have no claim for admission. No correspondence in this regard will be entertained.
3. No TA/DA will be given to the candidates coming for admission/interview.
4. No separate interview letter will be sent to the candidates coming for admission/interview.
5. Candidates selected for admission will have to deposit dues/fee at the time of his/her selection failing which his/her selection will stand cancelled out rightly and next candidates as per merit will be considered for admission.
6. Fee will be charged as per the Norms of the Govt.
7. Prospectus will be available after 1st June 2011 at the Counter of the ITI
8. Regular Classes will be started w.e.f. **08/08/2013**
9. Contact Nos. 9416096280

Sd/-  
Principal

Mata Balasundry Pvt. ITI  
Nahan

## अति आवश्यक सूचना

### Important Note :

Ragging, inside/outside the institution is an offence. As per the Himachal Pradesh Educational Institution (Prohibition of Ragging) Ordinance-2009, every offence under this ordinance shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of court. Any student found indulged in ragging activities directly/indirectly, strict action will be taken against him/her as per law.

1. प्रत्यार्थी आवेदन पत्र भरने से पहले विवरण पुस्तिका का अच्छी तरह अध्ययन कर ले।
  2. अनुसूता भरा हुआ या बिना सही प्रमाण—पत्रों के साथ आवेदन पत्र रख किया जा सकता है।
  3. निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार जिस तिथि को प्रवासी को प्रवेश हेतु आना है वहि वह निर्धारित तिथि एवं समय पर उस दिन सर्वोच्चत कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों सहित उपरिकृत दीक्षित वर्ग एवं योग्यता अनुसार चयनित हासे पर मूल्क इत्यादि उपरी समव जमा करवाकर प्रवेश प्राप्त न कर सके तो छात्र / छात्रा का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जाएगा और उसको स्थान पर उसी समय अनुसार योग्यता सूची के अधार पर बांटे जाएँगे।
  4. जारीकिय वर्ग के प्रमाण—पत्र सहाम राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये गये हों।
  5. आशोषिक प्रविष्टि संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन की अनितम तिथि विवरण पुस्तिका ने दी गई है। संस्थान में सत्र 2011 की क्षात्र दिनांक 09.08.2011 पूर्णतया पूर्ण हो जाएगी।
- नोट : (i) आशोषिक प्रविष्टि क्षात्र में प्रवेश नियमानुसार इत्याकृत योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम कैसणिक योग्यता में प्राप्त अवकाश के आधार पर पूर्णतया योग्यतानुसार सम्पन्न होगा।
- (ii) प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा और डिमांडल प्रदर्श के मूल नियासियों, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरक्ष कर्मसाधारियों के बाहर के लिए ही उपलब्ध है।

कोई भी कार्य आस्ता करते समय अपने सद्गुरुदेव स्वं ईश्वर का ध्यान अवश्य करें।



# ADMISSION PROCEDURE ( प्रवेश प्रक्रिया )

## आवेदन-पत्र देने का विधान (Procedure for applying)

माता बालासुन्दरी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नज़दीक दिल्ली गेट, नाहन, जिला सिरमोर (हि. प.) में प्रवेश दाने के इच्छुक प्रत्याशीयों द्वारा आवेदन पत्र आवंटित करता है। इस संस्थान द्वारा शुरू किया गया कोर्स इलेक्ट्रिशियन जो कि NCVT, DGET & T (Govt. of India) Vide letter No. DGET - 6/8/4/2011 - TC (New Pvt.) से मान्यता (Affiliated) प्राप्त है। एवं Approved by Deptt. of Technical Education Sunder Nagar (Govt of H.P.).

इन व्यवसायों में प्रवेश पूर्णता परिषट् सूची के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अपने हाथ द्वारा भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र पूर्णता भरा होना चाहिए और सत्यापित (प्रमाणित) प्रतियों सहित माता बालासुन्दरी प्राइवेट आई टी आई के प्रधानाचार्य को प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम की नियमित अनिम नियिं से पहले जमा कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां साथ संगलन करनी होगी, जाहे वे प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतियों ही क्यों न हों :

1. जन्मसिद्धि के प्रमाण हेतु बोर्ड/स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
  2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु यूनिवर्सिटी/बोर्ड द्वारा दिया दिए गए प्रमाण पत्र।
  3. हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा हिमाचल प्रदेश/भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये होने का प्रमाण पत्र।
  4. जिस आरक्षित वर्ग/उपर्युक्त के अन्तर्गत अवृत्त (अनुमूलित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े होने के निवासी इत्यादि) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिया गया है, उस वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो संबंधित इलाकों के सक्षम राजन्य अधिकारी द्वारा दिया गया है।
  5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित प्रमाण पत्र 2 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
  6. वरिष्ठ प्रमाण पत्र जो कि उस संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया हो जहां से कि प्रत्याशी ने अनिम घरीका पास की ही अवादा राजपत्रित करवाई।
- द्वारा दिया गया हो तथा 6 मीटरों से अधिक अवधि में पुराना न हो।
7. प्रत्याशी को आवेदन पत्र में दीक सूचना देनी चाहिए। यदि कोई भी दी गई सूचना किसी भी समय गलत/झौंठी अवधा दिया गई है तो विद्यार्थी को केन्द्र से निकला जा सकता है। यदि कोई भी प्रत्याशी प्रवेश दाने हेतु गलत दंग से अवादे या अपने प्रमाण पत्रों को मूल अवादा सत्यापित प्रतियों में किसी भी गलत अवधि के दिलाने के लिए उनके लिये विशेष उल्लंघन दर्दन कर दिया जाएगा।
  8. यदि किसी प्रत्याशी ने गलत, झौंठी प्रमाण पत्र या कार्यक्रम को जाएगी।
  9. यदि कोई प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षण के दीगान किसी भी पुलिम केंस में (Involve) पाया गया तो उस संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूरी अधिकार है कि सम्बंधित प्रशिक्षणी का प्रवेश तन्षण रद्द कर दें तथा प्रशिक्षणी को पूरी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  10. प्रवेश के लिए इच्छुक प्रत्याशीयों को प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार नियमित नियिं एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित हाजिर होना चाही जाने एवं योग्यता के अनुसार यदि उसे दीक्षिता मिले तो उसे उसी समय सम्पूर्ण शुल्क इत्यादि देने होंगे। अन्यथा वर्गीनुभाव उस प्रत्याशी के स्थान पर दीक्षिता योग्यतानुभाव अवादे प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। तन्षणात् उस प्रत्याशी का प्रवेश पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशी को दीक्षित के लिए कोई अलग ये पत्र वरीयह नहीं भेजा जाएगा। अनुमूलित वर्गों महिल प्रवेश हेतु उसने वाले किसी भी प्रत्याशी को कोई टोटे/झौंठ नहीं मिलेगा।
  11. तारीखले के लिए चुने हुए प्रत्याशीयों को नियित नियिं को संस्थान में अपनी-अपनी कहाँ में जाना होगा। यदि कोई विद्यार्थी विना सूचना दिये पहले पांच तारीखकारी दिवसीं तक कहाँ में अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसे प्रवेश स्वीकार नहीं है तथा उस प्राक्कार रिक्त होने वाली सीट द्वितीय और अनिम कर्तव्यसंलग्न में योग्यतानुभाव नहीं प्राप्त होगा।
  12. संस्थान में दीक्षित हुए प्रत्याशीयों को दो माहोंके अन्दर-अन्दर तकर्मकि शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण करावाना अनिवार्य है।

**आत्म विश्वास सफलता का मुख्य विश्वास है**

## Courses Name/Duration/Min. Eligibility

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	<b>इलैक्ट्रीशियन</b>	2 वर्ष	मैट्रिक वा औई/फैमिली द्वारा मानना लैटेक्स/पा औई/फैमिली द्वारा मानना प्राप्त माध्यम परीक्षा में पास होना इसी परीक्षा में गणित तथा विज्ञान में पास होना आवश्यक है।

### गुण्ल और दूसरे व्यय (Fee & Other Charges)

गुण्ल और दूसरे व्यय सरकारी और N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के अनुसार लिए जायेंगे।

### विषय पाठ्यक्रम (Course of Study)

सभी उपलब्ध व्यवसायों के पाठ्यक्रम N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए गये हैं।

### उपस्थिति एवं अवकाश (Attendance and Leave)

इन पाठ्यक्रमों हेतु उपस्थिति एवं सम्बन्धित नियम N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

### परीक्षा नियम (Examination Rule)

इन पाठ्यक्रमों हेतु N.C.V.T. द्वारा परीक्षा नियम निर्धारित किए जाते हैं।

### स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Test)

दाखिले के लिए चुने गए प्रत्याशीयों को ऑडिओग्राफ प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेने समय सरकारी चिकित्सा अधिकारी जो कि राज पत्रिन श्रेणी-2

में निज पदवी का हो, द्वारा दिया गया शास्त्रीयिक योग्यता का प्रमाणपत्र पेश करना होगा। इस संस्थान में Mentaly RStarted प्रत्याशीयों को दाखिला नहीं दिया जाएगा।

### नोट :

1. चिकित्सा प्रमाण पत्र को साथ नहीं भेजना होता है बल्कि इसे प्रवेश के समय ही प्रस्तुत करना होगा।
2. योग्यता क्रम में अने बाले ऐसे प्रत्याशीयों जिनके कि केवल एक और एवं पर्याप्त दृष्टि हो तो उनको केवल उन ही व्यवसायों के प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु consider किया जायेगा, जिसमें कि एक और एक की दृष्टि प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त हो या प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में बाधा न हो। ऐसे प्रत्याशीयों को योग्यतानुसार संबंधित व्यवसाय हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य होगा।

### अभिमुक्ति परीक्षा (Aptitude Test)

प्रवेश के बाद दो माह के अन्दर प्रत्येक विद्यार्थी का अभिमुक्ति (Aptitude Test) टैस्ट होगा। उक्त परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी असफल हुआ तो उसे संस्थान से बिकाला जा सकता है।

### इन्टरनल (आंतरिक) असर्मैट (Internal Assessment)

प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर परीक्षाएं ली जाएँगी तथा प्रत्येक तिथाही के अन्न में ली गई परीक्षा का परिणाम इन्टरनल असर्मैट में गण्य होगा। परीक्षार्थी का इन्टरनल असर्मैट में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। दो वर्ष के परीक्षण अवधि वाले व्यवसायों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर प्राथमिक परीक्षा सरकारी नियम अनुसार ली जाएँगी और उसमें निर्धारित मानदण्ड में कम अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षणार्थी को दूसरे वर्ष का परीक्षण प्राप्त करने में रोका जा सकता है अनितम परीक्षा का परिणाम वहाते समय प्राथमिक परीक्षा और इन्टरनल असर्मैट के अंकों को भी consider किया जायेगा।

### सामान्य नियम एवं विविध (General Rules & Regulations)

1. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीयों को कोट में व्यवहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का भूत लाभ उठा सके जो कि उसे प्रदान की गई है। यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थीयों एवं उसके सहपाठियों की भलाई और उसके अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं। इनको बिना सूचना दिये समय समय पर बदला जा सकता है प्रशिक्षणार्थीयों को चाहिये कि वे प्रतिदिन की सुचनाओं की जानकारी प्राप्त किया करें नियमों की अज्ञानता के कारण उनका उल्लंघन करना मात्र नहीं होगा।
2. प्रशिक्षणार्थीयों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद्व्यवहार करें और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मान पूर्वक रहें संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार दें कि वे विद्यार्थीयों के गलत व्यवहार को रोके चाहे वे संस्थान के अन्दर हीं या बाहर हों और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थीयों को उनकी आज्ञा माननी होती।
3. ऊर्ध्वी आवज में बोलना और बिना उद्देश्य के घृणा, यह बात दूसरों की नाराजगी तथा गतुबद्धी पैदा करने के बात चर्चित होगी।

**श्रेष्ठ आदतों में सर्वप्रमुख है समयबद्धता।**



## Mata Balasundry Private ITI Nahar

सभी दिये गये नियमों को या उनसे अलग नियमों को बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किया जा सकता है तबा इसमें सरकार द्वारा निर्देशित नियमों को ही माना जायेगा।

### पुस्तकालय के नियम (Library Rules)

- संस्थान की लाडलोरी में पाठ्यक्रम से संबंधित एवं अन्य विषयों पर बहुत पुस्तक उपलब्ध हैं। विद्यार्थी एक पुस्तक को अधिक से अधिक पाँच दिनों के लिये ले सकता है। पुस्तक बद्धापि किसी और विद्यार्थी द्वारा मांग न करने पर फिर से अगले तीन दिनों के लिए लाइब्रेरीयन द्वारा जारी की जाती है।
- समय पर पुस्तकों को न लौटने पर पाँच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुमाना लिया जायेगा।
- अगर विद्यार्थी किसी पुस्तक को खराब या उसका दुरुपयोग या उस पर कुछ लिखता है या पुस्तक विद्यार्थी द्वारा गुम कर दी जाती है तो विद्यार्थी द्वारा नई पुस्तक लाकर देनी होगी या उसकी राशि जमा करवानी होगी या बहुधरोहर राशि में से काट ली जायेगी।

**शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fee & Other Charges) :** प्रवेश के लिये चुने गये प्रत्याशियों को निम्नलिखित शुल्क तथा दूसरे व्यय देने होंगे।

1. इलैक्ट्रॉनिक्यन	प्रवेश शुल्क	8000/- रुपये प्रति वर्ष
	शैक्षणिक शुल्क	1000/- रुपये प्रति माह

इसके अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अथवा निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश (हिमाचल सरकार) द्वारा निर्धारित नियमानुसार होगी।

ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट फंड, लाइब्रेरी फंड, जीवन बीम योजना फंड (प्रतिवर्षी) व अन्य कोई फंड सरकार, बोर्ड द्वारा निर्देशित नियमानुसार ही लिया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय 500/- रुपये धरोहर के रूप में संस्थान में जमा करवाने होंगे जो उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिये जायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी भर्तीया या अन्य उपकरणों की टूट-फूट का जिम्मेवार होगा। यदि उसके द्वारा कोई उपकरण गुम हो जाए तो उस विद्यार्थी द्वारा दी गई 500/- रुपये की राशि से उपकरण के मूल्य की राशि काट ली जायेगी और यदि नक्सान धरोहर राशि से अधिक हो तो अधिक राशि को जमा करवाना होगा।

विद्यार्थीयों को संस्थान छोड़ने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर -2 अपनी सभी प्रतिभूति (Securities) राशियां आपस लेनी होंगी। इस समय के दौरान वापिस न ली जाने वाली प्रतिभूति जमा हो जायेगी और विद्यार्थीयों को उस हालात में निश्चित अवधि के बाद उस प्रतिभूति पर कोई अधिकार नहीं होगा और इस प्रकार रही अदल राशि कल्पण के लिये खर्च की जायेगी।

सभी शुल्क तय की गई समय अवधि के अन्दर ही देने होंगे। दो वर्षीय अवधि पाठ्यक्रम हेतु दूसरे वर्ष के शुल्कों के भुगतान वार्षिक आधार पर दी गई समय अवधि में ही जमा करने होंगे। यदि दी गई अवधि के बाद प्रशिक्षणार्थी के किसी प्रकार के शुल्क इत्यादि देने शेष रह जाएं तो उसे 5/- रुपये प्रति दिवस की दर से जितने दिन शुल्क अदल रहा हो, की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि प्रशिक्षण का शुल्क 15 दिन से अधिक वकाया हो तो उस संस्थान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं ही जायेगी तथा उसका नाम संस्थान के उपायिति रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

परीक्षा (Examination) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अनिम परीक्षा प्रान मी बी टी /एस मी बी टी परीक्षा के लिये हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुमान शुल्क इत्यादि देने होंगे।

सभी शुल्क किसी भी समय सरकार द्वारा बिना सूचना के परिवर्तित हो सकते हैं। तथा दिशा-निर्देश किये गये शुल्क व सभी नियम ही मान्य होंगे।

**पुस्तकालय धरोहर (Library Security):** प्रत्येक विद्यार्थी को रुपये 500/- पुस्तकालय धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी जोकि प्रशिक्षण की समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिये जायेंगे। बीच में प्रशिक्षण छोड़ने पर धरोहर राशि वापिस नहीं की जायेगी। आगे विद्यार्थी किसी पुस्तक को क्षीर पहुंचाता है या खराब करता है या पुस्तक को गुम करता है तो पुस्तक की कीमत उसकी धरोहर राशि में से काट ली जायेगी।

**नोट :** ऊपर दिए गए सभी शुल्क सरकार द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किये जा सकते हैं। इसमें सरकार/विभाग द्वारा निर्देशित नियमों और निर्धारित शुल्कों को ही माना जायेगा।

## लिंगोन्हट-३ (APPENDIX-I)

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल/भारत सरकार (अन्य राज्यों से) के कार्यालय सरकारी कर्मचारीयों के बच्चों में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (कोवल हिमाचल प्रदेश में सिवा ओडोरिगम अधीक्षण बोर्ड में प्रेसिडेंसी यह प्रमाण-पत्र कोवल तभी पूरा माना जाएगा यदि इसके साथ निम्न नोट-२ के अनुसार संबोधित SDM/Executive Magistrate पहोच द्वारा Attested affidavit मात्र लगा ही अन्यथा यह प्रमाण-पत्र उत्पुत्ता माना जाएगा और प्रत्याशी का प्रयोग आवेदन-पत्र भी अद्युत ही मिटा जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति  
जो कि श्री/कुमारी  
प्राकार के  
से इस विभाग में कार्यालय है तथा  
स्थान पर कार्यालय है। (स्थान का नाम)  
कार्यालय का नाम  
कार्यालय में  
कार्यालय का नाम

दिनांक<sup>1</sup>  
विभाग की मोहर का नाम  
विभाग की मोहर का नाम

नोट-१  
१. हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार के कर्मचारी जिनमें से निम्नलिखित ही अपक्री अधीक्षण भी अपने बच्चों का प्रमाण-पत्र दे सकते हैं। तथा उन्हें उन्होंने वह जिलेमें सिवा ओडोरिगम अधीक्षण के अधीनी ही प्रमाण-पत्र की जावेदान-पत्र दे सकते हैं अपक्री वा तीन अधीक्षण निवासी जिनमें से उन्होंने कोवल के बाहर रहा है। अपक्री जिलेमें जाई हो कोवल कार्यालय है।  
२. यदि हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार का कर्मचारी अपने बच्चों का प्रमाण-पत्र अपने नियुक्ति कार्यालय में संबोधित निवासी जिलेमें से जनरलीष अपनी जावेदान-पत्र दे रहा है। अपक्री संबोधित निवासी जिलेमें जनरलीष अपक्री रही तथा उन्होंने जिलेमें अपक्री रहा है। तो उसे नियुक्ति कार्यालय में संबोधित निवासी जिलेमें SDM/Executive Magistrate पहोच द्वारा Attested करायकर पत्र Affidavit देता होता है कि वह अपने बच्चों का कोवल एवं उसके अन्यथा आवेदन-पत्र अपक्री नियुक्ति कार्यालय के अधीन सकते हैं। अपक्री संबोधित निवासी जिलेमें जनरलीष अपक्री रही तथा उन्होंने बच्चों का कोवल एवं उसके अन्यथा आवेदन-पत्र अपक्री नियुक्ति कार्यालय के अधीन सकते हैं। इस Affidavit के बिना हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के बच्चों का प्रमाण-पत्र अपक्री नियुक्ति कार्यालय।

## परिणाम-२ (APPENDIX-II)

प्रिछड़े क्षेत्र (Backward Area) में संबोधित प्राधारियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री  
जो कि श्री/कुमारी  
का पिता है, गांव<sup>2</sup>  
जिला  
आवासीय क्षेत्र का नाम  
है और कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक विछिन्न द्वेष घोषित किया गया है।  
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी  
जिला  
द्वारा प्राप्ति  
तहसील  
विलास  
सुपुत्र/सुपुत्री  
जो का पाल की है, जो कि हिमाचल प्रदेश का भूल नियोमी  
प्रदेश सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र में सिवाय है।  
स्थान  
दिनांक

कार्यालय की मोहर

दिनांक  
(संबोधित क्षेत्र परस्परांगम/कार्यालयित विस्टेट पहोच  
के कार्यालय की मोहर हस्ताक्षर  
सहित हस्ताक्षर

नोट-२  
१. यह प्रमाण-पत्र संबोधित क्षेत्र के संस्थानिक/प्राधारियों की सीलाएं द्वारा जारी किया गया रहता है। यह कि जावेदान का प्राप्ति भारतीय सिवाय ही यह प्रमाण-पत्र अपक्री रहायका अपक्री रहा है।  
२. यदि यह स्थान जिसे आपका जावेदान की सीलाएं द्वारा की जावेदान के बाहर रहा तो उसके लिये सुन्दर रहा है कि यह कार्यालय में विवाह समाज सेवा पर दिया जाता है। उस स्थान  
(Immediate adjoining to the notified backward area) के सब तरफ से, जो कि संस्थानिक जावेदान के बाहर रहा तो उसके बाहर कर्मचारी विस्टेट पहोच द्वारा नियोमी किया जाता है।

## प्रमाण-पत्र

संबोधित क्षेत्र के संस्थान राजस्व अधिकारी द्वारा नियोमी त्रिपत्र साचारणा: जारी किये गये सिवायीं संबोधित आवधायक प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ मैलिनित कराने होंगे।  
उपर वर्णन से संबोधित प्रमाण-पत्रों के नियोमी त्रिपत्र मैलिनित है, जिसके अनुसार संबोधित प्रमाण-पत्र के साथ मैलिनित कराने होंगे अन्यथा आवेदन-पत्र अपक्री रहा जाएगा।

१. हिमाचल प्रदेश का भूल नियोमी होने का प्रमाण-पत्र
२. अनुसंधान जावेदान /जन-जातियों में संबोधित प्रमाण-पत्र
३. विछिन्न जातियों से संबोधित प्रमाण-पत्र

शरीर का आनंद स्वास्थ्य में है, मन का आनंद ज्ञान में है।

### प्रिलियर्स अपेंडिक्स III (APPENDIX III)

स्वास्थ्य कार्डिनल ड्रग्स-पॉर्ट (Medical Certificate)

लेट : यह ड्रग्स-पॉर्ट को देखने वाले दाखिले के समय प्रभावत करना होगा।

निश्चित अस्पताल

(नाम तथा पदपंक्ति)

प्राप्ति वाला है कि मैं कोई जुर्मानी

जिम्मेदार घोटों मुझ द्वारा साधारणत (जनसेवक) कारक या

निष्ठा वाला है, कि मैंने इस स्वास्थ्य कार्डिनल ड्रग्स-पॉर्ट के कारण आपको जारी रखने में किया है और उसमें कोई ऐसी शारीरिक कमज़ोरी नहीं है जो कि ड्रग्स-पॉर्ट प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश यात्रा होने हेतु

निष्ठा वाला कार्डिनल ड्रग्स-पॉर्ट को देखने वाले दाखिले का है कि :-

1. अपनी बचपनी	बीटर है।
2. अपना वायर	निकलोप्राप्त है।
3. अपनी जाने का बाबा (जैनकाल)	(जैन कैलिकाक)
4. अपनी भौतिकी	प्रतीत होती है।
5. अपने के स्वास्थ्य कार्डिनल ड्रग्स-पॉर्ट है	नहीं लगाता, लगाती है।
6. (1) अपने हाई बीम	निकट दृष्टि
(2) अपने बीम	निकट दृष्टि
7. अपनी दूरी नियोनेट ड्रग्स के अनुसार है।	दूर दृष्टि
8. अपना दूर तथा लगाती दूर है।	दूर दृष्टि
9. अपना नक्कल दूर	है।
10. अपनी कार्डें देखो ड्रग्स-पॉर्ट या शारीरिक कमी या ड्रग्स-पॉर्ट अधिकता नहीं है जो कि उम्रकी इस समय का निकट भविष्य में औद्योगिक केंद्र अधिकारी फॉल्क इन्स्टीट्यूट के अनुसार करने के स्वाक्षरता रखनी हो तथा न हो संसार्वत्व अधिकारीका रोग से पर्याप्त है।	अतः प्रत्याशी ड्रग्स-पॉर्ट प्रदेश औद्योगिक
11. अपना नक्कल किया	
12. ड्रग्स-पॉर्ट के अनुसार का नियामन	
13. ड्रग्स-पॉर्ट के अनुसार	

स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर, पदवी तथा

हस्ताक्षर की गोहर


नियामन

नियामन

नियामन

- स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर, पदवी तथा  
हस्ताक्षर की गोहर
- नियामन - यह अन्योनीक नियामनी में अनुप्रयोगित होना चाहिए, जो कि हितोंपर भेजी गयी राजपत्रित स्लिप में कम का न हो।
1. नियामन - नियामनी का नाम देखने के बाद योग्य घोटों के उपर लगाती चाहिए।
  2. नियामन - यह नियामन इस के बाद नहीं देखा जाना चाहिए जिन्हें प्रत्याशी अपने पास रखे और दाखिले के समय प्रभावत करें।
  3. नियामन - नियामन के बाद नियामनी को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला नहीं दिया जायेगा।
  4. नियामन - नियामन के बाद नियामनी देखने के बाद नाम एक अलग में ही टीकी एवं प्राप्ति दूर्घटित हो, जो केवल उर्द्धी अवधारणा में प्राप्ति क्षमता में प्रवेश हो जिसका
  5. नियामन - नियामन के बाद नियामनी को दूरी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में पर्याप्त हो तथा प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में काष्ठक न हो। ऐसे प्राप्ति क्षमता में प्राप्ति क्षमता नियामनी को दूरी प्रतिक्रिया इस विधानिका (जारी चमक जाने) में निर्धारित न्यूनतम होशियार योग्यता रखना अनिवार्य होगा। मैंमने
  6. नियामन - नियामनी का नियामन इसके बाद नियामनी को प्राप्त करनी दिया जायेगा।
  7. नियामन - नियामनी का नियामन इसके बाद नियामनी को दूरी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पास संख्या 5-7/88 वैल-ए-एच, दिनांक 3.3.1989 में निर्धारित नियामन, जिसका नाम नियामनी का नाम हो दाखिले देखने के बाद देखने वाला स्वास्थ्य प्राप्ति-पॉर्ट ही मान्य होगा तथा उसकी स्वास्थ्य प्राप्ति प्रीवीलिपि प्रवेश अवैद्यन-पर नियामन करना होगा। अन्य अवैद्यन का नियामन किया जा सकता है।

दर्शन में आप अपना घेहरा देख सकते हैं, चरित्र नहीं।



For more details please contact

# Mata Balasundry PRIVATE ITI NAHAN

Add. Ground Floor, M.C.Complex, Near Delhi Gate  
Nahan Distt. Sirmour (H.P.), Mobile No. : 094180-96280  
E-mail : arunbhatiag.3239@gmail.com